

# दवा कंपनी पर बड़ा जुर्माना

**औषधि** निर्माता कम्पनियों के बीच एक बड़ा नाम फाइज़र है। हाल ही में उस पर एक औषधि का गलत प्रचार करने के लिए 2.3 अरब डॉलर का जुर्माना ठोका गया है। यह एक बड़ी बात है पर सवाल यह है कि क्या इससे कुछ वास्तविक बदलाव आएंगे?

डॉक्टर विशेष परिस्थितियों में दवा नियामकों द्वारा स्वीकृत उपयोग से इतर बीमारियों के लिए भी मरीज़ को कोई दवा लिख सकते हैं। किन्तु अमरीका में दवा कंपनियां इस तरह के अलिखित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रचार नहीं कर सकती। फाइज़र ने इस नियम को ताक पर रखकर दर्द निवारक बेक्स्ट्रा औषधि समेत कई मामलों में इस नियम का उल्लंघन किया। बेक्स्ट्रा के बारे में प्रमाण मिले हैं कि यह हृदयाघात और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाती है। इसके आधार पर वर्ष 2005 से ही इसे बाज़ार से हटा लिया गया था।

फाइज़र पर लगा जुर्माना उसकी 3 हफ्तों की बिक्री के बराबर है। यह बड़ी रकम है लेकिन बहुत बड़ी भी नहीं है। वॉशिंगटन के *सेंटर फॉर साइन्स इन पब्लिक इंटररेस्ट* से पूर्व में जुड़े रहे मेरिल गूज़नर का कहना है कि यह एक साफ संदेश देता है। यह संदेश सुना जाएगा या नहीं, यह अलग प्रश्न है। दवाओं की बिक्री से ज़बर्दस्त मुनाफा कमाया जाता है इसलिए नियमों को तोड़ने के लिए लगाया जाने वाला जुर्माना भी तगड़ा होना चाहिए। *(स्रोत फीचर्स)*